## DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No.: 184775280522043130

Date : 28-05-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री NIPA SINGH W/O AMIT KUMAR SINGH , मोहल्ला HIRAPUR ADARSH NAGAR DHANBAD DHANBAD DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - **0250002888000X** वार्ड सं॰ **25** हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य **0**/- रू॰ निर्धारित किया गया है । इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

	la l	स्व-निर्धारितः	कर की सूचना	7	
क्रम सं॰	A	Particulars	1	10	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर			2	334.00
2.	जल कर				0.00
3.	शौचालय कर			X I	0.00
4.	बिजली कर		λ.	17	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण	की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	1914		0.00
	वु	ल राशि (प्रति तिमाही)	Q.		334.00

To be signed by the Applicant

## नोट:-

8409688888

- 1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, <u>suda.jharkhand.gov.in</u> पर प्रदर्शित है।
- 2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयाविध (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.